न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—283/2023/223 आर.टी.एक्ट (2023/283)

1. पदमसिंह उर्फ सुगनसिंह पुत्र श्री मंगेज सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम चाचियावास, तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गोपी पुत्र श्री नारायण (मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 भंवरलाल पुत्र स्व0 श्री गोपी, जाति कुम्हार, निवासी चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलक्टर(मु.), अजमेर द्वारा दिनांक 04.08.2023 राजस्व वाद संख्या 119/2011 बउनवानी गोपी बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित किया गया।</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री, श्रवणसिंह गौड, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री, अजीतसिंह राठौड, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1.
3. श्री, विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02.

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 30.10.2024

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर, द्वारा प्रकरण संख्या 119/2011 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के पिता गोपी/वादी के द्वारा एक राजस्व वाद राज्य सरकार के विरूद्ध वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद—पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए जाने के आदेश दिये। तत्पश्चात् वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा अपनी ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद को दिनांक 31.3.2008 को निरस्त किए जाने का आदेश कर दिया, जिसके विरूद्ध वादी/वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.10.2008 को द्वारा उक्त अपील को निरस्त किए जाने के आदेश दिये। निर्णय व डिक्री दिनांक 20.10.2008 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8.8.2011 द्वारा स्वीकार किया जाकर वर्तमान अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार मुर्तिब कर पुनः निर्णय पारित किए जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर को प्रतिप्रेषित कर पुनः निर्णय पारित करने के आदेश दिये। मण्डल के उक्त रिमाण्ड आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली बाबत् अपीलांट को प्रतिवादी संख्या 2 मुर्तिब किया जाकर तथा जवाब दावा ग्रहण किया जाकर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 7 तनकीयात निर्मित कर उक्त वाद पत्र बाबत् गवाह बयानात लेखबद्ध कर तथा दोनों पक्षों की बहस समाअत कर उनके समक्ष लंबित राजस्व वाद को दिनांक 4.8.2023 को स्वीकार किया जाकर डिक्री किए जाने के आदेश दिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर, द्वारा प्रकरण संख्या 119/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.08.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादी द्वारा उक्त राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 636 रकबा 2–11–00 बीघा बाबत खातेदारी/काश्तकारी का अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया था तथा वादी के अनुसार उक्त आराजीयात वादी के पिता द्वारा क्रय किया जाना बताया गया था परंतु उक्त रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र के पंजीकृत होने की दिनांक को वादग्रस्त आराजीयात किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के नाम खातेदारी काश्तकारी में अंकित नहीं थी बल्कि उक्त आराजीयात सरकारी सिवायचक दर्ज थी। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात बाबत पंजीकृत विक्रय–पत्र प्रारम्भ से ही शून्य था तथा इस प्रकार से शून्य विक्रय–पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत वाद को अविधिक रूप से दिनांक 4.8.2023 को डिक्री किए जाने का आदेश पारित कर दिया। वादी द्वारा उक्त राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 2 को मुर्तिब कर वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रस्तुत कर कथन किया था कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात जरिए रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र द्वारा क्रय की गई तथा दौराने बंदोबस्त सेटलमेंट विभाग की त्रुटि के कारण उक्त आराजीयात चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब करते समय सहवन से/त्रुटिवश सरकारी सिवायचक दर्ज कर दी गई तथा वादी को वादग्रस्त आराजीयात बाबत खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे परंतु अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने जवाबदावे में इस बात का स्पष्ट रूप से अंकन किया था कि वादग्रस्त आराजीयात बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत 2000 से 2023 नहीं है अपितु इसके बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत आगे की चौसाला जमाबंदी संवत 2024 लगायत 2027 भी मुर्तिब की है जिसमें उक्त आराजीयात बाबत स्पष्ट रूप से अंकन सरकारी सिवायचक दर्ज किया है जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रदर्श ए–7 दिनांक 22.10.2020 अंकित किया था। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात चौसाला जमाबंदी में भी सरकारी सिवायचक दर्ज थी इसके पश्चात बंदोबस्त विभाग द्वारा किसी प्रकार से कोई त्रुटि इत्यादि कारित नहीं कर अंतिम चौसाला से वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब कर उक्त आराजीयात को सरकारी सिवायचक दर्ज की थी। इस प्रकार से वादी द्वारा असत्य कथनों पर उक्त वाद प्रस्तुत किया था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंबित तथ्य एवं साक्ष्यों के विपरीत जाकर वादी के उक्त राजस्व वाद को दिनांक 4.8.2023 को स्वीकार किए जाने का आदेश दिये। विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 636 रकबा 2–11–00 बीघा अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत 2024 से 2027 में सिवायचक दर्ज थी तथा बंदोबस्त विभाग द्वारा विधिनुसार उक्त अंतिम चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब कर उक्त आराजीयात के खसरा नम्बर 784 मिन रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा मुर्तिब किए तथा उक्त खसरा नम्बर को विधिनुसार सरकारी सिवायचक दर्ज की तत्पश्चात अलोटमेंट विभाग द्वारा विधिनुसार उक्त आराजीयात अपीलांट को नियमन की गई थी तथा उक्त नियमन आदेश की पालना में विधिवत रूप से अपीलांट को नियमन की गई थी तथा उक्त नियमन आदेश की पालना में अपीलांट के पक्ष में राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामांतरकरण तस्दीक किया गया था तत्पश्चात जरिए नामांतरकरण संख्या 112 राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधिवत रूप से अपीलांट के पक्ष में गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज किए जाने का नामांतरकरण भी तस्दीक किया गया है। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात अपीलांट को विधिवत रूप से नियमन की गई है। उक्त समस्त दस्तावेजात अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की उक्त नियमनशुदा आराजीयात बाबत खातेदारी/काश्तकारी के आदेश दिनांक 4.8.2023 को दिए गए। वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट को विधिनुसार नियमन/आवंटन की गई थी तथा रेस्पोडेंट/वादी द्वारा जानबूझ कर अपने उक्त राजस्व वाद में पक्षकार के रूप में मुर्तिब नहीं किया गया तत्पश्चात राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश अनुसार अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार के रूप में मुर्तिब किया गया तथा रेस्पोडेंट/वादी को समस्त तथ्यों की जानकारी प्रारम्भ से ही होने के उपरांत भी वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के पक्ष में हुए उक्त नियमन आदेश को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती प्रदान किए बिना ही उक्त राजस्व वाद प्रस्तुत किया था। वादग्रस्त आराजीयात कभी भी किसी भी चौसाला जमाबंदी में वादी के नाम खातेदार काश्तकार के रूप में अंकित नहीं की गई तथा वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट को विधिनुसार आवंटन/नियमन की गई थी तथा वर्किंग जमाबंदी में अपीलांट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चला आ रहा था तथा वर्किंग जमाबंदी से आधारभूत जमाबंदी में भी अपीलांट बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा है। जिस बाबत अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादी का उक्त राजस्व वाद एडवर्स पजेशन के आधार पर अतिक्रमी की हैसियत के अनुसार ही था जबकि वास्तव में वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है अपितु वादग्रस्त आराजीयात बाबत मौके पर अपीलांट ही अपने नियमन आदेश की दिनांक से निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात बाबत मौके पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है तथा राजस्व रिकार्ड में भी अपीलांट का नाम बतौर खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। इस प्रकार से अपीलांट के उक्त राजस्व वाद जो कि एडवर्स पजेशन के आधार पर था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 31.3.2008 को निरस्त किए जाने के आदेश दिया जा चुका था। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), अजमेर, द्वारा प्रकरण संख्या 119/2011 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2023 को निरस्त फरमायें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट ने राजस्व वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजीयात चौसाला खसरा नम्बर 636 रकबा 2–11–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 645 रकबा 2–1–10 बीघा के रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार मंगेज सिंह पुत्र श्री दोलत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चाचियावास थे। उक्त वादग्रस्त आराजीयात के वर्किंग खसरा नम्बर 784 रकबा 4–12–10 बीघा बंदोबस्त द्वारा बनाए गए जो श्री मंगेज सिंह द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 7.6.1975 को वादी को विक्रय कर कब्जा एवं दखल प्रदान दिया। उक्त क्रयशुदा आराजीयात में से साबिक 645 जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 784 मिन रकबा 2–1–00 बीघा तो नामांतरकरण संख्या 36 दिनांक 14.11.1977 को तस्दीक किया जाकर जमाबंदी में वादी के नाम दर्ज कर दिया परंतु साबिक नम्बर 636 नम्बर जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 784 मिन रकबा 2–11–00 बीघा बनाए गए बंदोबस्त विभाग द्वारा सरकारी सिवायचक दर्ज कर दी गई जबकि उक्त आराजीयात बाबत आज दिनांक तक वादी का निरंतर अपनी क्रयशुदा दिनांक से कब्जा चला आ रहा है। वादी द्वारा अपने उक्त वाद पत्र के माध्यम से वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 784 मिन रकबा 2–11–00 बीघा बाबत स्वयं को खातेदार/काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र में कुल सात तनकीयात निर्मित की गई व उनके तनकीवार निष्कर्ष के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद को स्वीकार योग्य पाया जाने से वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजीयात चौसाला खसरा नम्बर 636 रकबा 2–11–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 645 रकबा 2–1–10 बीघा आधारभूत खसरा नम्बर 1544 रकबा 0.41 वादी को खातेदार/काश्तकार घोषित किया जा कर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि वे वादी की उक्त आराजीयात में किसी भी प्रकार से दखलांदाजी मदाखलत उत्पन्न नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन किया। बाद अवलोकन वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01/1/वादी का कथन है कि ग्राम चाचियावास तहसील व जिला अजमेर स्थित आराजीयात चौसाला खसरा नम्बर 636 रकबा 02–11–00 बीघा तथा खसरा नम्बर 645 रकबा 02–01–10 बीघा के रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार मंगेज सिंह पुत्र श्री दोलत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चाचियावास थे तथा वादी गोपी ने उक्त आराजीयात को प्रतिवादी संख्या 02 पदम सिंह उर्फ सुगन सिंह के पिता से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र द्वारा दिनांक 7.6.1975 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है उक्त समय की गिरदावरी सम्वत 2021 लगायत 2031 तक मंगेज सिंह की काश्त दर्ज थी, तत्पश्चात जमाबंदी सम्वत 2032 से आज दिनांक तक लगातार काबिज काश्त था, लेकिन खसरा नम्बर 645 हाल खसरा नम्बर 784 मिन रकबा 2–1–10 बीघा भूमि वर्किंग जमाबंदी में वादी के नाम दर्ज कर दी गई लेकिन साबिक खसरा नम्बर 636 हाल खसरा नम्बर 784 रकबा 2–11–00 बीघा भूमि दौराने बन्दोबस्त पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित करते हुए सिवायचक अंकित कर दी गई। खसरा नम्बर 784 रकबा 2–11–00 बीघा बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद प्रस्तुत कर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को उक्त खसरा नम्बर 784 रकबा 2–11–00 बीघा का खातेदार काश्तकार घोषित कर, प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.08.2023 को वादी के वाद को स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि भूमि विक्रय की गई थी तब भूमि सिवायचक खाते में दर्ज थी इसलिए विक्रय पत्र प्रभावहीन है तथा वादी का वाद एडवर्स पजेशन के आधार पर किया गया है जबकि एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। वादी ने वाद पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया था तथा भूमि अपीलांट को आवंटन/नियमन की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2023 निरस्त किये जाने योग्य है। हमने उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावलियों का अवलोकन किया। विक्रय–पत्र को विधि विरूद्ध अथवा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सक्षम सिविल न्यायालय को है। अपीलांट ने उक्त विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1975 को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौति नहीं देकर निरस्त नहीं करवाया है। भूमि दौराने सेटलमेन्ट विभाग द्वारा चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी मूर्तिब करते समय उक्त आराजीयात को पुनः पूर्व खातेदार अथवा क्रेता के नाम दर्ज नहीं कर उक्त आराजीयात को सहवन से/त्रुटिवश सरकारी/सिवायचक बिना किसी न्यायालय के आदेश के दर्ज कर दी जिसका विधि अनुसार बंदोबस्त विभाग को कोई अधिकार नहीं था। सेटलमेन्ट विभाग को केवल पुरानी प्रविष्टि को ही पुनः दौहराने/अंकन किये जाने का अधिकार है। आराजीयात को सहवन से/त्रुटिवश सरकारी/ सिवायचक दर्ज रहते हुए उक्त भूमि खसरा नम्बर 636 रकबा 2–11–00 बीघा का आवंटन मंगेजसिंह पुत्र दौलत सिंह के नाम आवंटन/नियमन की गई, जो शुरू से ही शून्य प्रविष्टि है क्योकि मंगेज सिंह द्वारा उक्त विवादित आराजीयात का बेचान पूर्व में किया जा चुका था तथा जो आवंटन हुआ वह सेटलमेन्ट विभाग

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

द्वारा त्रुटिवश रूप से किये गये इन्द्राज के आधार पर किया गया है। राजस्व मण्डल राज.अजमेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण डिक्री/टीए/11038/2008 में पारित निर्णय दिनांक 08.08.2011 में मंगेज सिंह को खातेदार काश्तकार मान लिया है तथा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1975, जो कि मंगेज सिंह के द्वारा किया गया है को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर आज दिनांक तक निरस्त नहीं करवाया गया है। एक पुत्र के द्वारा अपने पिता के जीवनकाल में किए गए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को किसी भी प्रकार से प्रभावहीन नही समझा जा सकता है चूंकि वादग्रस्त आराजीयात तात्कालीन खातेदार/काश्तकार से जरिए रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र द्वारा क्रय की गई है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (7) के अनुसार विक्रेता समस्त काश्तकारी अधिकारों का अवसान होकर क्रेता में निहित हो चुके थे। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रतिवादी/अपीलांट का नाम वर्तमान जमाबंदी में दर्ज होने मात्र से वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 के हक एवं अधिकारों का अवसान नहीं हो जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तनकीवार विवेचन करते हुए विधिक प्रावधानों के तहत जो निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर, द्वारा प्रकरण संख्या 119/2011 में पारित आदेश दिनांक 04.08.2023 को यथावत रखे जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

30/10/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner